

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1736 / 12-1 , गोपेश्वर, दिनांक अक्टूबर 28 / 10 2016 |

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

विषय:- गवाला से भेरणी मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 2848 / 10 एल0ए0 दिनांक 20.09.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण प्रस्तावक विभाग के माध्यम से किया गया जो निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	शर्ते का विवरण	अनुपालन आव्याय
1.	Plz reply to obj of RO in reply to point no.1 of the EDS dated 28-07-2016 of this office it is mentioned that all the five villages come under Gram Panchayat Bherni, but the proceedings of the meeting of the village level committee under FRA have not been amended which still mention the name of village bherni only, May provide/upload revised proceedings of the the village level committee under FRA mentioning names of all the five villages, signed by representatives from all the villages.	उक्त सभी ग्राम एक ही ग्राम सभा भेरणी के अन्तर्गत आते हैं। सभी 5 ग्रामों की प्रविस्ति FRA certificate में कर दी गई है तथा Revised FRA certificate को पार्ट-1 के Additional information और पार्ट 11 के Additional information में अपलोड कर दिया गया है। संलग्नक -1 (पेज 2 से 3 तक)

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करनें की कृपा करें।

संलग्न:- प्रस्तावक विभाग के पत्र की छायाप्रति एवं संलग्नक प्रपत्र।

भवदीय,

(एन0एन0घण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक २०४८/१०८३-८८

दिनांक : २०/९/२०१६

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :-

ग्वाला से भेरणी मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Plz reply to obj of RO-In reply to point No.-1 of the EDS dated 28.07.2016 of this office it is mentioned that all the five villages come under Gram Panchayat Bherni, but the proceedings of the meeting of the village level committee under FRA have not been amended which still mention the name of village Bherni only. May provide / upload revised proceedings of the village level committee under FRA mentioning names of all the five villages, signed by representatives from all the villages.	उक्त सभी ग्राम एक ही ग्रामसभा भेरणी के अन्तर्गत आते हैं। सभी 5 ग्रामों की प्रविष्टि FRA certificate में कर दी गयी है तथा Revised FRA certificate को पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है। <u>संलग्नक - १ पृष्ठ २ से ३</u>

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्त।

11/09/2016
(जे.पी.रत्नाली)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

प्रपत्र-23.1

परियोजनाकानाम :— मान्यु घोषणा के अंतर्गत जनपद-चमोली के विधान राज्या-प्रांती के विभिन्न घाटों पर उत्तरांश से जैविक लकड़ और जारी का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम..... चमोली (पुणिला, शिमली, पानीबेंगुर)
तहसील..... चमोली जिला..... चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद..... चमोली के अन्तर्गत मान्यु घोषणा के अंतर्गत विभिन्न घाटों पर उत्तरांश से जैविक लकड़ और जारी परियोजना के निर्माण हेतु निर्माण हो आरक्षित वनभूमि..... 1.98 हेतु सिविल सोयम भूमि 2.97 हेतु वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 4.96 हेतु वनभूमिका लौ ० निर्विधि विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कियागया।

उक्तप्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत..... चमोली द्वारा दिनांक 4/01/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी काकब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम..... चमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लौ ० निर्विधि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/-
ग्रामसचिव

Bij. C. Negi (P.I.D.)
Vill. Dev. Officer.
Bhak. Ghat (Chamoli)

राकेश रावत
सेवा विभाग
सकण वाड विभाग घाट
सकण वाड विभाग घाट



ग्रामप्रधान

नोट :—* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उस का विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 4/10/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत अरणी छुड़िका, शिमली, पानीपत बाला,

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित करिए ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	देवदत्त चूर्णवारी	देवदत्त
2.	श्री रमेश रावत	रमेश
3.	ललित रावत	ललित
4 -	जगद्दली लला	जगद्दली
5	श्री हरीश रावत	हरीश
6 -	" गुरुदास चूर्णवारी	गुरुदास
7)	बाल	Bal
8	दुर्वल वाल	दुर्वल
9	संदीप लिहावत	संदीप
10	श्री रामवर मिंद रावत	रामवर
11.	-करि - ११२१००१/१५०४	करि
12	राजेश रावत	राजेश
13	राजेश रावत	राजेश
14	मनीषा रावत	मनीषा
15	कुमार रावत	कुमार
16.	लालित रावत	लालित
17-	मनोज रावत	मनोज

राकेश रावत
क्षेत्र पंचायत मंत्री
सकण घाट १०० घाट

